अध्याय- IV

लेन-देन की लेखा परीक्षा

4.1 लेखा परीक्षा में पता लगाये गये छल/ दुर्विनियोजन/ गबन/ हानि

गृह विभाग; ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.1.1 सरकारी धन का गबन

संहिता प्रावधानों का पालन नहीं होने के परिणामस्वरूप 8.62 लाख रूपये का गबन/ दुर्विनियोजन जिसमें से 2.78 लाख रूपये की वसूली की गयी थी।

झारखण्ड कोषागार संहिता (खण्ड-I)के नियम 86 (ii)के अनुसार सभी प्रकार के आर्थिक लेन- देनों के घटित होते ही शीघ्रातिशीघ्र उस राशि को रोकड़ बही में प्रविष्टि करनी चाहिए और कार्यालय प्रधान द्वारा उसे सत्यापित करना चाहिए। इसमें यह भी विहित किया गया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (नि.एवं. व्य.प.) द्वारा रोकड़ बही को प्रति दिन अंतिम शेष, जाँच एवं बन्द करने की प्रक्रिया को करना चाहिए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.), धनबाद, धनवार, आरक्षी अधीक्षक (आ.अ.), कोडरमा एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.मु.चि.प.), दुमका के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2005 से दिसम्बर 2005 के मध्य) से यह प्रकट हुआ कि सरकारी धन का गबन या तो रोकड़ बही में दिखायी गयी राशि से अधिक राशि की कोषागार से निकासी, निलामी द्वारा प्राप्त धन को कोषागार में जमा नहीं करने या वेतन एवं भत्ते की अधिक निकासी कर किया गया। ब्योरे निम्न सारणी में दिये गये हैं।

कार्यालय का नाम	गबन की गयी राशि (लाख रूपये में)	वसूली की गई या नहीं	अभ्युक्तियाँ
प्र. वि. पदा., धनवार	**5.58**	वसूली नहीं की गई	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-I के तहत प्र.वि.पदा., धनवार द्वारा 5.58 लाख रूपये प्राप्त किया गया (मार्च 2004) एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, धनवार शाखा, गिरिडीह के खाता सं. 3933 में जमा (मार्च 2004) किया गया। इस राशि को न तो रोकड़ बही के लेखा (प्राप्ति की ओर) में प्रविष्ट किया गया और न ही इस राशि के व्यय संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस तरह उस समय के रोकड़पाल द्वारा **5.58** लाख रूपये का गबन किया गया।

अ.मु.चि. पदा., दुमका	0.26	वसूली नहीं की गई।	वेतन एवं भत्ते की स्वीकार्य राशि 1.84 लाख रूपये के विरूद्ध दो स्थापना विपत्र (सं.1एवं 3/2004-05) द्वारा 2.10 लाख रूपये की निकासी की गई। इस तरह रोकड़पाल द्वारा 26,132 रूपये की कपटपूर्ण निकासी की गई।
आ.अ. कोडरमा	2.37	लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेख करने पर वसूली गयी ।	दिसम्बर 2002 से अगस्त 2003 के बीच बेकार गाड़ियों की निलामी से प्राप्त 2.37 लाख रूपये की राशि को उस समय के सार्जेन्ट मेजर द्वारा न तो लेखापित किया गया और न ही कोषागार में जमा किया गया, इस तरह राशि का गबन किया गया।
प्र.वि.पदा., धनबाद	0.15	लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख करने पर वसूली गयी ।	एक कार्यकारी एजेन्ट को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी. आर.वाई.-I) के तहत 44,766 रूपये का भुगतान किया गया और रोकड़ बही में 60,247 रूपये दर्शाया गया। इस तरह रोकड़पाल द्वारा 15,481 रूपये की कपटपूर्ण निकासी की गई।
प्र. वि. पदा., धनबाद	0.26	लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेख करने पर वसूली गयी ।	विभिन्न प्रयोजनों के लिये जैसे इन्दिरा आवास का निर्माण, छात्र- वृति का भुगतान, वानिकी, रोलर की मरम्मति, वेतन एवं भत्ते, तथा चुनाव कार्य हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों को 2.77 लाख रूपये अग्रिम दिये गये थे परन्तु कार्यभार प्रतिवेदनों के हस्तान्तरण के समय रोकड़ बही में 3.03 लाख रूपये दिखाये गये। इस तरह 25,679 रूपये की राशि कम पाई गई फलस्वरूप राशि का गबन किया गया ।

इस तरह, उस समय के प्र. वि. प. धनवार, प्र. वि. पदा., धनबाद, अपर मु. चि. पदा., दुमका एवं आ.अ., कोडरमा द्वारा 8.62 लाख रूपये के गबन होने को सुगम बनाया गया जिसमें से केवल 2.78 लाख रूपये की वसूली लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेख करने पर की गयी थी। तथापि, दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में नवम्बर 2006 तक लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अक्टूबर 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

4.1.2 अपव्ययी/अधिव्यय

पुरानी/नन- ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ. एम. आर.) अनुरूप प्रपत्रों की छपाई में 19.50 लाख रूपये का अविवेकपूर्ण अपव्यय एवं ओ. एम. आर. आवेदन प्रपत्रों की आपूर्ति में अविवेक पूर्ण निर्णय के कारण 10.53 लाख रूपये का अधि व्यय।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, (झा.लो.से.आ.) राँची द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों पर कार्यवाही के लिये झा.लो.से.आ. द्वारा 33.70 लाख रूपये में ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ.एम.आर.) मशीन का क्रय किया गया। ओ. एम. आर. मशीन केवल उन्हीं प्रपत्रों पर प्रक्रिया कर सकती है जो विशेष रूप से इस मशीन के लिये छापा गया हो।

झा. लो. से. आ. के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2006) में यह पाया गया कि ओ.एम. आर. मशीन क्रय के उपरान्त, 19.50 लाख रूपये में तीन लाख पुरानी/नन ओ.एम. आर. अनुरूप प्रपत्रों की छपाई झा.लो.से.आ. द्वारा की गई। इन प्रपत्रों पर ओ.एम. आर. मशीन द्वारा प्रक्रिया नहीं की जा सकी और इस प्रकार ये प्रपत्र पूरी तरह अनुपयोगी हो गये। इस तरह, विवेकहीन छपाई के परिणामस्वरूप पुराने प्रपत्रों के लिये 19.50 लाख रूपये का अपव्यय किया गया।

तदन्तर, झा. लो. से. आ. द्वारा संचालित किये जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ओ. एम. आर. आवेदन प्रपत्रों के सेटों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई (फरवरी 2005)। चार कम्पनियों♣ द्वारा निविदा का उत्तर दिया गया। एक कम्पनी को तीन लाख ओ.एम.आर. प्रपत्र आपूर्ति हेतु आदेश जारी किया गया (सितम्बर 2005) जिनकी उद्धृत दर 9.00 रूपये प्रति सेट थी यद्यपि निम्नतम उद्धृत दर 5. 85 रूपये प्रति सेट थी। निम्नतम निविदा कर्ता को आपूर्ति हेतु आदेश नहीं देने के संबंध में कोई कारण अभिलेख में नहीं मिला। इसके अतिरिक्त 1.08 लाख रूपये के बिक्री कर की राशि, जिसका उल्लेख निविदा में नहीं था, कम्पनी को भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 10.53 लाख रूपये का परिहार्य अधि व्यय किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

♣ एलायड टेक्नोलॉजीज 7.50 रूपये प्रति सेट, के एल.एच. टेक 5.85 रूपये प्रति सेट, ट्रायंगल सिसकॉम (प्रा.) लि. 12.00 रूपये प्रति सेट, एस.पी.एस. इंटरनेशनल 9.00 रूपये प्रति सेट।

4.2 निष्फल/अपव्ययी/व्यर्थ व्यय

पथ निर्माण विभाग

4.2.1 अपव्ययी व्यय

एम.ओ.एस.आर.टी.एच. के अनुमोदन के बिना पुनरूद्धार कार्य कराया जाना और कथित कार्य की अनुवर्ती कोड़ाई के परिणामस्वरूप 2.40 करोड़ रूपये का परिहार्य और अपव्ययी व्यय। इसके अलावे, अस्वीकृत गुणवत्ता नियंत्रण एवं अभिकरण शुल्क मद में 84.18 लाख रूपये की हानि हुई और स्फीत भुगतान के विरूद्ध वसूली नहीं होना

रॉची- गुमला संभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच)-23 के कि.मी. 53-62 और 67-75.42 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सतह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.एस.आर.टी.एच.) द्वारा 4.91 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी (मार्च 1998)। कार्य, संवेदक को 5.09 करोड़ रूपये पर जून 2000 तक पूर्ण करने के लिए (दिसम्बर 1998) दिया गया।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), एन.एच प्रमंडल, गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2005) से उद्घाटित हुआ कि ठेकेदार ने घटिया कार्य निष्पादित किया जिसमें घटिया गुणवत्ता का मोरम, घटिया गिट्टी का उपयोग, 100 प्रतिशत के विरूद्ध 70 प्रतिशत अवमृदा की कसाई के अलावा एम.ओ.एस.आर.टी.एच. विनिर्देशनों के उल्लंघन में जल बंध गिट्टी (डब्ल्यू.बी.एम.) के ऊपर सेमी डेन्स विटुमिनस कारपेट (एस.डी.बी.सी.) के साथ टूटे-फूटे मार्ग का विलोपन सम्मिलित था। इसके कारण क्रियान्वयन के दौरान ही सड़क अपने आप टूट- फूट गई जो केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई) की छानबीन के दौरान सम्पुष्ट (अगस्त 2002) हुआ। फलस्वरूप एम.ओ.एस.आर.टी.एच. द्वारा एक प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण और नौ प्रतिशत अभिकरण प्रभार (44.05 लाख रूपये) अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बावजूद, स्थल पर उपलब्ध 3.53 करोड़ रूपये के वास्तविक कार्य के विरूद्ध 4.16 करोड़ रूपये के किये कार्य को दर्शाते हुए मापी पुस्तिका में स्फीत प्रवृष्टियों को अभिलेखित कर ठेकेदार को 4.16 करोड़ रूपये का भुगतान का. अ. द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार किये गये कार्य से 63 लाख रूपये अधिक का भुगतान हुआ जो ठेकेदार से वसूलनीय था। इसके अलावा, बिटुमिन और रॉयल्टी के मद में आकलित 20.83 लाख रूपये की अन्य वसूलियॉ मिलाकर 83.83 लाख रूपये की कुल राशि वसूलनीय थी। का.अ. ने निविदा को रद्द कर दिया (जनवरी 2004) और 43.70 लाख रूपये की प्रतिभूति जमा और पेशगी राशि को जब्त कर लिया। इस प्रकार, सरकार को 84.18 लाख रूपये की हानि हुई।

जब ठेकेदार के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के पश्चात् एम.ओ.एस.आर.टी.एच. सड़क के टूटे-फूटे भाग के मजबूतीकरण कार्य के लिए स्वीकृति पर विचार (जनवरी 2004) कर रहा था, मु.अ. ने सड़क के टूटे-फूटे भाग में पुनरूद्धार कार्य के लिए 2.14 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति दे दी (जनवरी 2004) और जून 2004 तक पूर्णता के लिए इसे एक

ठेकेदार को 1.85 करोड़ रूपये पर करने की अनुमति दी (फरवरी 2004)। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण कर दिया और जुलाई 2004 में 1.82 करोड़ रूपये प्राप्त कर लिया।

एम.ओ.एस.आर.टी.एच. ने सड़क के टूटे- फूटे खंड के मजबूतीकरण कार्य के लिए 12.90 करोड़ रूपये की स्वीकृति (जुलाई 2004) दी और का.अ. द्वारा किये गये कुल पुनरूद्धार कार्य को कोड़ने का निर्देश दिया गया। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किये गये पुनरूद्धार कार्य के क्रियान्चयन के बारे में एम.ओ.एस.आर.टी.एच. को सूचित नहीं किया गया था। कार्य एक ठेकेदार को जुलाई 2005 में आबंटित किया गया जिसने 57.77 लाख रूपये की लागत पर कुल पुनरूद्धार कार्य को कोड़ दिया। इसके कारण पुनरूद्धार और इसके बाद कोड़ाई कार्य हेतु 2.40 करोड़ रूपये का अपव्ययी व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2006) कि सड़क को परिवहन योग्य बनाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनरूद्धार कार्य किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश विभाग के कार्य के घटिया क्रियान्वयन की रोकथाम में विफलता पर था जिससे पुनरूद्धार कार्य की आवश्यकता पड़ी।

4.2.2 निष्फल व्यय

झारखण्ड में निजी भूमि का अधिग्रहण किये बिना और पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना अन्तर्राज्यीय पुल के निर्माण कार्य की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के कारण 6.54 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय।

दुमका-मशालिया-कुण्डहीत-नाला के 66 कि.मी. पर अजय नदी के ऊपर पहुँच पथ (2x50 मीटर) के साथ 15 x 35 मीटर चौड़ाई के उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए भारतीय रेल प्रौधोगिकी सेवा (आर.आई.टी.ई.एस.) (परामर्शदाता) द्वारा तैयार किये गये (अप्रैल 2002) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा 9.04 करोड़ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन (अगस्त 2002) और तकनीकी स्वीकृति (टी एस) दी गयी (अप्रैल 2002)। पहुँच पथ के लिए स्थल सर्वेक्षण किये बिना मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने ठेकेदार को उसकी अंकित दर पर 'टर्न की' के आधार पर 6.69 करोड़ रूपये की पहुँच पथ के साथ पुल निर्माण का कार्य आबंटित (अगस्त 2002) किया।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, जामताड़ा और मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2006) से प्रदर्शित हुआ कि ठेकेदार ने पुल निर्माण पूर्ण (जून 2004) कर दिया था और उसे 6.54 करोड़ रूपये का भुगतान (जुलाई 2004) कर दिया गया था। तथापि, पुल को उपयोग के लिये प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित दोनों पहुँच पथ अजय नदी, जो दोनो राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल को पृथक करता है के किनारों के आर-पार झारखण्ड (महेशमुण्डा) और पश्चिम बंगाल (रूनाकुडा) में पुल के दोनों हिस्सों में प्रत्येक में 50 मीटर पड़ते थे जिससे पहुँच पथ का निर्माण आरंभ नहीं किया जा सका था। यह अवलोकित किया गया (दिसम्बर 2004) था कि पुल के आधार से 275 मीटर की लम्बाई उच्च स्तरीय बाढ़ के दौरान पानी में डूब

जायेगा। इसलिए बाद में झारखण्ड राज्य में 1.03 करोड़ रूपये की लागत पर 630 मीटर के एक लम्बे पहुँच पथ के निर्माण को अनुमोदित किया गया था (नवम्बर 2005)। झारखण्ड राज्य में पहुँच पथ का संरेखण रैयती (निजी) भूमि में पड़ता था और सरकार अक्टूबर 2006 तक प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकी थी। पश्चिम बंगाल में पहुँच पथ के निर्माण के लिए अनुमति भी कार्य प्रारंभ करने से पहले प्राप्त नहीं की गई थी। कार्य को झारखण्ड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य लागत हिस्सेदारी आधार पर आरंभ किया जाना चाहिए था क्योंकि पुल एक अन्तर्राज्यीय पुल था।

इस प्रकार, प.नि.वि द्वारा लागत हिस्सेदारी आधार पर निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बिना किसी अनुबंध किये और झारखण्ड में निजी भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित किये बिना अन्तर्राज्यीय पुल निर्माण कार्य, जो पश्चिम बंगाल राज्य तक विस्तारित था की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के कारण पुल की पूर्णता के दो वर्षों के बाद भी पहुँच पथ प्रारंभ नहीं हुआ, फलस्वरूप बेकार पुल पर 6.54 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया था। अभियंता प्रमुख सह अतिरिक्त आयुक्त सह विशेष सचिव, प.नि.वि. ने कहा (सितम्बर 2006) कि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर थी और पुल पर यातायात चल रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने स्वीकार किया था कि झारखण्ड में पहुँच पथ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया था और सरकार से प्राधिकार के अभाव में पश्चिम बंगाल में पहुँच पथ के निर्माण आरंभ करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया गया था। इसलिए, पुल की उपयोगिता और यातायात का आवागमन पहुँच पथ के अभाव में अस्वीकार्य था।

पेय जल और स्वच्छता विभाग

4.2.3 निष्फल व्यय

दोषपूर्ण परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किये गये कार्य के कारण बीच में ही कार्य की बंदी और योजना पर वहित 9.20 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल रह जाना

डाल्टेनगंज के लोगों को 30 वर्षो (2032) की प्रक्षेपित अवधि के लिए निरन्तर जलापूर्ति प्रदान करने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा डाल्टेनगंज जलापूर्ति योजना के संवर्धन के लिए, 9.77 करोड़ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2002) दिया गया। मुख्य अभियंता,पेय जल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। विभाग द्वारा विनियोजित एक परामर्शदाता द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के तैयार करने के बाद जमा कार्य के रूप में कार्यपालक अभियंता (का.अ.),पेय जल और स्वच्छता प्रमंडल (डी.डब्ल्यू.एस), डाल्टेनगंज द्वारा कार्य को क्रियान्वित किया जाना था।

निविदित (मई 2002) होने पर जुलाई 2002 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए 26.40 लाख रूपये पर एक परामर्शदाता को कार्य आबंटित किया गया। लेकिन विभाग ने गलत आँकड़ा

और प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के मामले में उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए कोई शर्त्त सम्मिलित नहीं की थी। परामर्शदाता ने अपने पूर्व- संभावित प्रतिवेदन में जल आपूर्ति योजना के संवर्धन के लिए जल के तीन स्त्रोतों का सुझाव दिया (अगस्त 2002) और सरकार द्वारा डाल्टेनगंज के सन्निकट उत्तर कोयल नदी में दो चरणों में 22.25 करोड़ रूपये पर अन्त:स्त्रुतकूपों के निर्माण के विकल्प को अनुमोदित किया गया (अगस्त 2002)। पहले चरण के लिए परामर्शदाता को दो अन्त: स्त्रुतकूपों, अन्त:स्पंदन गैलरी, एक जैक कूप सह कच्चा जल पम्प गृह, जल अभिक्रिया संयन्त्र, चार की संख्या में उन्नत सेवा टंकी और प्रत्यस्थ लौह चढ़ाई का बटन और वितरण नल के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया। परामर्शदाता ने 10.05 करोड़ रूपये का डी.पी.आर. उपस्थापित किया और 19.36 लाख रूपये परामर्शदाता शुल्क के रूप में प्राप्त किया। निविदित होने पर, मई 2004 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए एक ठेकेदार को कार्य आबंटित किया गया (फरवरी 2003)।

कार्यपालक अभियंता, डी.डब्लू. और एस प्रमंडल डाल्टेनगंज के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2005 एवं सितम्बर 2006) से यह प्रदर्शित हुआ कि अन्तःस्पंदन गैलरी के निर्माण का कार्य सितम्बर 2006 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका, जबकि विपरीत उपसंस्तर के कारण जैक कूप का कार्य 6.8 मीटर अपेक्षित गहराई के विरूद्ध 2.1 मीटर तक धंसाने के बाद अपसर्जित पाया गया। अपेक्षित 6.4 मीटर के विरूद्ध अंतःस्त्रुत कूपों को क्रमशः 6.4 और 5.6 मीटर तक धंसाया गया। यद्यपि, परामर्शदाता ने अपने द्वारा किये गये भू-तकनीकी अन्वेषण के अनुसार 7.30 मीटर तक बालू-परत प्रक्षेपित किया था। ठेकेदार को उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए 9.01 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया (जनवरी 2006)।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण डी.पी.आर. के विरूद्ध परामर्शदाता के साथ क्रियान्वित अनुबंध में उचित शर्त्त के निवेश द्वारा इसके हितों के बचाव के बिना दोषपूर्ण डी.पी.आर. के आधार पर कार्य प्रारंभ करने के कारण कार्य के मध्य में ही असामयिक बंदी के फलस्वरूप योजना पर 9.01 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ जिसे सितम्बर 2006 तक उपयोग के लिए भी नहीं लाया जा सका। इसके अलावा, 19.36 लाख रूपये का परामर्श शुल्क भी अनुपयोगी सिद्ध हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006)। सचिव ने कहा (सितम्बर 2006) कि प्रतिकूल उपसंस्तर के कारण अन्त:स्त्रुत गैलरी और जैक कूप निर्मित नहीं किया जा सकता था और इंगित किया कि इन्हें नये स्थलों पर निर्मित किया जायेगा। उन्होंने यह भी इंगित किया कि अनिवार्य परिवर्तनों के साथ पुराने अन्त:स्त्रुत कूपों की सहायता से जलापूर्ति प्रारंभ (मई 2005) की जा चुकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रणाली को नये अन्त:स्त्रुत कूपों की सहायता से प्रारंभ होना था और विद्यमान जलापूर्ति का संवर्धन करना था।

लघु सिंचाई विभाग

4.2.4 अपव्ययी व्यय

त्रूटिपूर्ण रूपांकन पर बारलंगा मध्यम सिंचाई योजना, गोला, हजारीबाग पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा समय पर भूल सुधार में असफलता के कारण 27.76 लाख रूपये का अपव्ययी व्यय

बारलंगा मध्यम सिंचाई योजना, गोला, हजारीबाग को जल संसाधन विभाग द्वारा 42.44 लाख रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2001) और 46.33 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति (टी.एस) (अक्टूबर 2001) दी गयी थी। कार्य में मृदा बाँध, उत्प्लव-मार्ग, मुख्य नियंत्रक और नहर-प्रणाली का निर्माण सम्मिलित था। कार्य के तकनीकी संभाव्य को सुनिश्चित किये बिना ही जनवरी 2002 तक पूर्ण करने के लिए इसे मुख्य अभियंता (मु.अ.) द्वारा तकनीकी स्वीकृति के आठ महीने पूर्व ही 46.01 लाख रूपये पर एक ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया(फरवरी 2001)।

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2003 और जुलाई 2005) से उद्घाटित हुआ कि ठेकेदार ने आंशिक मृदा कार्य निष्पादित किया और 18.82 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त (जनवरी 2002) करने के बाद कार्य को छोड़ दिया। अधीक्षण अभियन्ता (अ.अ.) द्वारा अप्रैल 2002 में स्थल निरीक्षण के दौरान ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ने के कारणों को छानबीन किये बिना ही, 21.65 लाख रूपये पर अपसर्जित कार्य दो ठेकेदारों को आबंटित किया गया (मई 2002)। जब 7.79 लाख रूपये का मृदा कार्य, गिट्टी मशीनरी और आर.सी.सी. कार्य क्रियान्वित हो गया था, अ.अ.ने स्थल का पुन: निरीक्षण (अक्टूबर 2002) किया और कार्य की बंदी का आदेश दिया और बिना जल विज्ञानीय आँकड़ों, नक्शा, रूपांकन और विनिर्देशनों को पालन किये कार्य क्रियान्वयन के आधार पर निगरानी जाँच के लिए मामले को मु.अ. को अनुशंसित (नवम्बर 2002) कर दिया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके अलावा योजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण पर 1.15 लाख रूपये का भी व्यय हुआ। मामला लेखा परीक्षा द्वारा मुख्य सचिव को नवंम्बर 2004 में अन्वेषण के लिए प्रतिवेदित किया गया था। सरकार ने त्रुटिपूर्ण रूपांकन स्वीकार करते हुए (नवंम्बर 2006) बताया कि आवश्यक 9975 घनफीट जल की सहन शक्ति के विरूद्ध, रूपांकन केवल 4253 घनफीट का बहाव सहन करने में समर्थ था।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण रूपांकन पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने और समय से इसके सुधार में विफलता के फलस्वरूप नवम्बर 2002 से अपसर्जित पड़ी बेकार संरचनाओं पर 27.76 लाख रूपये का अपव्ययी व्यय हुआ।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग

4.2.5 निधि का अवरोधन

सामुदायिक सूचना केन्द्रों के क्रियाशील नहीं होने के कारण 1.98 करोड़ रूपये की निधि का अवरूद्ध रहना

सफलतापूर्वक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिला कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य मुख्यालय को भेरी स्मॉल एपारचर टरमिनल (भी.एस.ए.टी.) के माध्यम से जोड़ने के उद्येश्य से राज्य में 30 सामुदायिक सूचना कन्द्रों की स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा 1.98 करोड़ रूपये आबंटित (मार्च 2003) किया गया। तदनुसार, सूचना एवं तकनीकी विभाग को 1.98 करोड़ रूपये आबंटित किया गया था। कोई तुलनात्मक बोली आमंत्रित नहीं की गई, बदले में, सेन्टर फॅार डेभलपमेन्ट ऑफ एडभांस्ड कम्प्यूटिंग (सी.डी.ए.सी.) को कार्यकारी अभिकरण के रूप में, मनोनयन के आधार पर चुना गया था। सरकार द्वारा 31 मार्च 2003 को स्वीकृत 1.98 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण राशि सी.डी.ए.सी. को उसी दिन अग्रिम दे दी गई थी।

संवीक्षा (मई 2006 एवं अक्टूबर 2006) में देखा गया कि अक्टूबर 2006 तक कोई भी सामुदायिक केन्द्र कार्यरत नहीं था। विभाग द्वारा कहा गया कि बैंड विस्तार से संबंधित कुछ मुद्दे जो सृजित सुविधा की "पूर्ण उपयोगिता" के रास्ते में आ रहे थे, संबंधित अभिकरणों के साथ उठाये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि भेन्डर द्वारा किसी अपूर्ण कार्य को जारी रखने एवं सामुदायिक केन्द्रों को भी उचित कार्यरत रखने का उत्तरदायित्व विभाग का ही था। इस तरह, विभाग एवं सी.डी.ए.सी. के मध्य उचित समन्वयन की कमी के कारण 1.98 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना का उद्येश्य भी पूरा नहीं हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2006)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.2.6 निष्क्रिय पुलों पर निष्फल व्यय

सम्पर्क पथों के अभाव में निष्क्रिय पुलों पर 4.24 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (एम.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत पथ द्वारा पंचायत मुख्यालयों को प्रखण्ड मुख्यालयों के साथ जोडने हेतु, देवघर जिला के चार प्रखण्डों (देवघर, सारठ, कैरों और पालोजोरी) के पंचायतों और प्रखंडों के बीच मध्यवर्त्ती क्षेत्र में पड़ने वाली विभिन्न नदियों पर 13 पुलों के निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी (डी.आर.डी.ए.),

देवघर द्वारा 5.02 करोड़ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया (अप्रैल 2003)। 4.91 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति (जून 2004) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, दुमका द्वारा प्रदान की गयी। निविदित होने पर (जनवरी 2003) सितम्बर 2003 और फरवरी 2004 के मध्य पूर्ण करने के लिए मुख्य अभियंता द्वारा 4.65 करोड़ रूपये पर 13 ठेकेदारों को कार्य आबंटित किया गया (अप्रैल- मई 2003)। ठेकेदारों ने अगस्त 2004 और अक्टूबर 2004 के मध्य कार्य पूर्ण कर दिया और 4.24 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया।

कार्यापालक अभियंता (का.अ.), विशेष प्रमंडल, ग्रामीण विकास विभाग, देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2006 एवं नवम्बर 2006) से उद्घाटित हुआ कि सभी पुल निष्क्रिय पड़े हुये थे, क्योंकि उन्हें सम्पर्क पथों द्वारा जोड़ा जाना था लेकिन अक्टूबर 2006 तक सम्पर्क पथों के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया।

इसप्रकार पुलों के जरिये एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत पथ संयोजकता का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका फलस्वरूप निष्क्रिय पुलों के निर्माण पर 4.24 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल रहा क्योंकि डी.आर.डी.ए. उन स्थलों पर पुलों का निर्माण सुनिश्चित करने में विफल रहा, जहाँ सम्पर्क पथ विद्यमान हैं/थे या इन पुलों के माध्यम से पंचायत और प्रखंड मुख्यालयों के बीच पथ संयोजकता सुनिश्चित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् साथ-साथ हीं पुलों और सम्पर्क पथों का निर्माण स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

सरकार ने कहा (नवम्बर 2006) कि लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को अंकित कर लिया गया और सुधारात्मक उपाय यथा समय किये जायेगें।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

4.2.7 निष्फल व्यय

सरकार एवं जिला प्रशासन के मध्य उचित समन्वयन की कमी के परिणामस्वरूप दृष्टिहीनों के लिये विद्यालय सह छात्रावास निर्माण में 58.59 लाख रूपये का निष्फल व्यय

जनजातीय क्षेत्र के दृष्टिहीन छात्रों को सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा का परिवेश उपलब्ध कराने के उद्येश्य से समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 60.31 लाख रूपये स्वीकृत किया गया था (जून 2003)। तदनुसार, गुमला जिला में दृष्टिहीनों हेतु विद्यालय सह छात्रावास निर्माण के लिये 50 लाख रूपये का आबंटन उपायुक्त, गुमला को दिया गया था (जून, 2003)। निर्माण कार्य को उसी वित्तीय वर्ष के अन्दर पूर्ण कर देना था। योजना व्यय में कमी करने के कारण सरकार द्वारा (मार्च 2004) इस योजना को आगामी समय तक के लिये अपसर्जित कर दिया गया। अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2005) से पता चला कि योजना को अपसर्जित करने संबंधी राज्य सरकार का आदेश (30 जुलाई 2003) नजारत को प्राप्त नहीं हुआ था एवं उपायुक्त द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला को निर्माण कार्य करने हेतु सौंप (जनवरी 2004) दिया गया था। जबतक

आदेश की जानकारी मिली, दृष्टिहीनों हेतु विद्यालय सह छात्रावास पर 34.70 लाख रूपये का व्यय हो चुका था। इसके उपरान्त, कार्य को अपसर्जित कर दिया गया एवं शेष बची हुई 15 लाख रूपये की राशि कोषागार में जमा कर दी गई थी। जबकि 0.30 लाख रूपये कार्यपालक अभियन्ता के पास रह गई थी (अप्रैल 2004)।

तदन्तर, सरकार द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया (जनवरी 2006) और उपायुक्त, गुमला को 25.31 लाख रूपये आबंटित किया गया था जिसमें से 23.89 लाख रूपये कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला को विमुक्त किया गया (जनवरी 2006) जबकि 1.42 लाख रूपये विमुक्त नहीं किया गया था (नवम्बर 2006)।

इस तरह, विभाग एवं जिला प्रशासन के मध्य संप्रेषण अंतराल के परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा एवं विद्यालय सह छात्रावास के निर्माण पर 58.59 लाख रूपये का व्यर्थ व्यय हुआ।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2006) कि दृष्टिहीनों के लिये विद्यालय सह छात्रावास निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण था एवं इसे गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) द्वारा चलाया जायगा। सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि न तो दृष्टिहीनों हेतु विद्यालय सह छात्रावास निर्माण कार्य पूरा हुआ था और न ही नवम्बर 2006 तक (एन.जी.ओ.) के चयन को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अतिरिक्त,जिला प्रशासन द्वारा योग्य छात्रों के निर्धारण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था जो इस विद्यालय सह छात्रावास का उपयोग करेगा।

4.3 परिहार्य/अधिव्यय

पथ निर्माण विभाग

4.3.1 अधिव्यय

बिल्टअप स्प्रे ग्राउटिंग (बि.अ.स्प्रे.ग्रा.)द्वारा बिटुमिनस मैकाडम (बीएम) और सेमी डेन्स कारपेट (से.डे.का.) का बीच में ही प्रतिस्थापन और दो पथ कार्यों में उच्चतर दरों पर उसके अन्तर्वेशन के परिणामस्वरूप बी एम और एस डी सी कार्यों पर 2.36 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत और मरम्मत कार्यों और वि.अ.स्प्रे. ग्रा. पर 5.70 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय

(अ) गढ़वा नगर मुरी सेमर पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण-

गढवा नगर मुरी सेमर मार्ग के कि.मी. 0 से 47 में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा 5.98 करोड़ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) (मार्च 1998) और 6.28 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति (त.स्व.) (नवम्बर 1998) दी गयी। कार्य में मृदा कार्य, उप-आधार/आधार द्वारा पथ पटल की रचना, जल आबद्ध मेकाडम (ज.आ.म.), बिटुमिनस मेकाडम (बी.एम.) और सेमी डेन्स कारपेटिंग (से.डे.का) सम्मिलित था। जून

2002 तक पूर्ण करने के लिए, 6.98 करोड़ रूपये पर, चार ठेकेदारों के साथ चार अनुबधों को क्रियान्वित किया गया (जून 2001)।

कार्यपालक अभियंता,पथ निर्माण प्रमंडल,गढवा के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्‌घाटित हुआ (अगस्त 2003 और फरवरी 2006) कि कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व, अभियंता प्रमुख ने अवलोकित किया (अप्रैल-मई 2001) कि विनिर्देशन और रूपांकन त्रुटिपूर्ण थे और मुख्य अभियंता (मु.अ.) ने 5.27 करोड़ रूपये के लिए बी.एम. एवं एस.डी.सी. के स्थान पर वी.यू.एस.जी. स्वीकृत कर दिया (मार्च 2002) बिना इस तथ्य का घ्यान किये कि बि.अ.स्प्रे.ग्रा. अन्तिम परत नहीं था और अन्तिम सतहीकरण बी.एम./एस.डी.सी.) द्वारा आच्छादित करना अपेक्षित था। तदनुसार, उन्हीं ठेकेदारों के साथ 5.39 करोड़ रूपये पर चार पूरक अनुबंधों को क्रियान्वित किया गया (मार्च 2002) जिसके विरूद्ध मार्च 2003 तक 5.64 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया। इसमें बि.अ.स्प्रे.ग्रा. के लिए 2.51 करोड़ रूपये सम्मिलित था।

तदन्तर, बि.अ.स्प्रे.ग्रा. सतह वाले पथ क्षतिग्रस्त हो गये और मु.अ.ने 8.53 करोड़ रूपये पर एक ठेकेदार को बि.अ.स्प्रे.ग्रा. सतह के उपर मरम्मति कार्यो के साथ बी.एम और एस.डी.सी के क्रियान्वयन के लिए आबंटित किया (अगस्त 2004) इसमें 2538.95 रूपये प्रति घनमीटर पर बी.एम. और 3069.72 रूपये प्रति घनमीटर पर एस डी सी पर क्रियान्वयन समिल्लित था जबकि मूल अनुबंध में दर बीएम के लिए 1800 रूपये प्रति घनमीटर और एस.डी. सी. के लिए 1941.60 रूपये प्रति घनमीटर था। उच्चतर दर पर एस.डी.सी. और बी.एम. के क्रियान्वयन पर अतिरिक्त लागत 1.62 करोड़ रूपये और क्षतिग्रस्त सतह की मरम्मति के लिए 1.91 करोड़ रूपये सहित जुलाई 2006 तक ठेकेदार द्वारा 8.38 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया गया।

इस प्रकार कार्य के विलम्बित और कई चरणों में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कार्य के लिए स्वीकृत लागत में 7.04 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुई जिसे, उचित प्राक्कलन पर आधारित मूल अनुबंधों की शर्तों के अनुसार कार्य के क्रियान्वित किये जाने पर, टाला जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006)। विभाग ने कहा (सितम्बर 2006) कि मूल विनिर्देशन में जो प्रदत था उससे अधिक बि.अ.स्प्रे.ग्रा. ने पथ को मजबूत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बि.अ.स्प्रे.ग्रा. के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप परिहार्य मरम्मति कार्य के अलावा बढ़ी हुई दर पर बी.एम. और एस.डी.सी. कार्यों का विलम्बित क्रियान्वयन हुआ।

(ब) परबा-गढ़वा पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण-

परबा-गढ़वा के कि.मी. 1 से 30 में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि) द्वारा 3.20 करोड़ रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) (मार्च 1998) और 3.14 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी) (नवम्बर 1998) दी गयी। कार्य में

मृदा कार्य, उप- आधार/ आधार द्वारा पथ पटल की रचना, जल आबद्ध मेकाडम (ज.आ.मे.), बिटुमिनस मेकाडम (बी.एम.) और सेमी डेन्स कारपेटिंग (से.डे.का.), सम्मिलित था। 3.38 करोड़ रूपये पर दो अनुबंध क्रियान्वित किये गये (नवम्बर 2001) जिसे मुख्य अभियंता द्वारा बिल्टअपस्प्रे ग्राउटिंग (बि.अ.स्प्रे.ग्रा.) द्वारा बीएम और एस.डी.सी. को प्रतिस्थापन के आधार पर 2.64 करोड़ रूपये पर संशोधित कर दिया गया। इस तथ्य पर विचार किये बिना कि बि.अ.स्प्रे.ग्र. अन्तिम परत नहीं था और भारतीय पथ कांग्रेस की धारा 500, की उपधारा 506.5 के अनुसार बिछाने के 48 घंटों के अन्दर अन्तिम सतहीकरण (बी.एम./एसडीसी) द्वारा आच्छादित करना अपेक्षित था।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, डाल्टेनगंज के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2003 और फरवरी 2006) कि अनावृत बि.अ.स्प्रे.ग्रा. पथ यातायात की गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और का.अ. द्वारा ठेकेदारों को 2.43 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया गया (मार्च 2003) जिसमें बि.अ.स्प्रे.ग्रा. के लिए 1.28 करोड़ रूपये सम्मिलित थे। मु.अ. द्वारा 3.96 करोड़ रूपये पर एक ठेकेदार को बि.अ.स्प्रे.ग्रा. के बी.एम. और एस.डी.सी. कार्यो के ऊपर क्रियान्वयन के लिए आबंटित कर दिया गया (जून 2004)। इसमें 2737.46 रूपये प्रति घनमीटर पर बी.एम. और 3364.39 रूपये प्रति घन मीटर पर एस.डी.सी. का क्रियान्वयन सम्मिलित था जबकि मूल अनुबंध (नवम्बर 2001) में बी.एम. के लिए 1800 रूपये प्रति घनमीटर और एस.डी.सी. के लिए 1941.60 रूपये प्रति घनमीटर की दरें सम्मिलित थीं। ठेकेदार ने मार्च 2006 तक 3.08 करोड़ रूपये प्राप्त किया जिसमें उच्चतर दर पर बी.एम. और एस.डी.सी. के क्रियान्यवयन पर अतिरिक्त लागत के रूप में 74.30 लाख रूपये सम्मिलित था।

इस प्रकार कार्य के विलम्बित और कई चरणों में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कार्य के लिए स्वीकृत लागत में 2.13 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हो गई, जिसे उचित प्राक्कालन पर आधारित मूल अनुबंधों की शर्तों के अनुसार कार्य के क्रियान्वित किये जाने पर, टाला जा सकता था।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2006) कि मूल विनिर्देशनों में जो प्रदत था उससे अधिक बि.अ.स्प्रे.ग्रा. ने पथ को मजबूत किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बि.अ.स्प्रे ग्रा. के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर बी.एम. और एस.डी.सी. कार्यो का विलम्बित क्रियान्वयन हुआ।

4.3.2 अतिरिक्त व्यय

उच्चतर दर पर कार्य आबंटन के कारण राँची- गुमला संभाग में एन एच-23 के आई आर क्यू पी कार्य में 34.30 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय

राँची- गुमला संभाग में राष्ट्रीय उच्चपथ (एन.एच.) 23 के कि.मी.151-165 (किमी 160 और कि.मी. 161 को छोड़कर) और कि.मी. 166-182 तक में सवारी क्षमता में सुधार हेतु 2002-03 तक पूर्ण करने के लिए, सतह सड़क परिवहन और उच्चपथ मंत्रालय

(एम.ओ.एस.आर.टी.एच) द्वारा स्वीकृति दी गयी (अप्रैल 2002)। निविदित होने पर (जून 2002) अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा सबसे कम दर 1.98 करोड़ रूपये पर एक ठेकेदार को कार्य आबंटित किया गया (जून 2002)।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), राष्ट्रीय उच्चपथ प्रमंडल, गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2005) से उद्घाटित हुआ कि दिसम्बर 2002 तक कि.मी.151-165 में क्रियान्वित कार्य के लिए 28.02 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार की मृत्यु (दिसम्बर 2002) हो गयी। इसके पश्चात् दिवंगत ठेकेदार की पत्नी (वैध उत्तराधिकारी)द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुमति देने के लिए का.अ. से अनुरोध (फरवरी 2003) किया गया। का.अ. द्वारा संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि दिवंगत ठेकेदार शेष बचे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना पीछे छोड़ गया था, मुख्य अभियंता (मु.अ.) को एम.ओ.एस.आर.टी.एच द्वारा बनायी गयी समय सारणी के अनुसार इसे पूर्ण करना सुनिश्चित होने के लिए उसके द्वारा कार्य क्रियान्वित करने की अनुमति देने को अनुशंसित (फरवरी 2003) किया गया। मु.अ. ने फिर भी दिवंगत ठेकेदार के वैध उत्तराधिकारी को कार्य आबंटित नहीं किया और का.अ. की अनुशंसा को अस्वीकृत करते हुए कार्य बन्द करने का आदेश दिया (जून 2003)।

1.62 करोड़ रूपये के शेष बचे कार्य को 1.96 करोड़ रूपये पर पुन: निविदित किया गया। मु.अ. द्वारा 1.96 करोड़ रूपये पर दूसरे ठेकेदार को कार्य जनवरी 2004 तक पूर्ण करने के लिए आबंटित किया गया (सितम्बर 2003)। ठेकेदार ने कार्य क्रियान्वित किया और मार्च 2004 में 1.96 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप 34.30 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत हुई। इसे टाला जा सकता था यदि फरवरी 2003 में तत्काल दिवंगत ठेकेदार के वैध उत्तराधिकारी को कार्य आबंटित कर दिया जाता, जब उसने कार्य पूर्ण करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त की थी। अभिलेखों से यह भी देखा गया कि अपने पति (ठेकेदार) की मृत्यु के पश्चात् उसी जिला में अन्य कार्यो को पूर्ण करने की उसे अनुमति दी गयी थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

4.3.3 निविदा को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के कारण अधिक भुगतान

निविदा और अनुबंध को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप कार्य के विलम्बित प्रारंभ और पूर्णता के कारण 51.17 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान

सरकारी परिपत्र के अनुसार किसी कार्य के लिए ठेकेदार से निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति से तीन दिनों के अन्दर निविदा पर निर्णय हो जानी चाहिए ,वैसे मामलों में जहाँ दर पर बातचीत की आवश्यकता हो निविदा 15 दिनों के अन्दर निर्णित हो जानी चाहिए। तदनुसार, निविदा के निर्णय और कार्य के आबंटन की सूचना ठेकेदार को देने के बाद अनुबंध सात दिनों के अन्दर क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पथ निर्माण प्रमंडल, जामताड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जून 2006) कि दुमका-मसालिया-कुण्डहीत-नाला मार्ग के कि.मी. 33 से 66 तक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण जून 2003 तक पूर्ण करने के लिए 5.99 करोड़ रूपये पर तकनीकी स्वीकृति (फरवरी 2002) और प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.अ.) (अगस्त 2002) दिया गया। जून 2003 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए 11 सितम्बर 2002 को निविदा आमंत्रित की गयी। प्रावधानों के अनुसार जून 2003 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए निविदा का अंतिम रूप (14 सितम्बर 2002) और अनुबंध क्रियान्वित (21 सितम्बर 2002) होना था। इसके प्रतिकूल, विभागीय निविदा समिति द्वारा सितम्बर 2002 की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों के अप्रतिक्रियाशीलता के बहाने 232 दिनों के विलम्ब के पश्चात् 5.85 करोड़ रूपये पर एक ठेकेदार के पक्ष में निविदा को अंतिम रूप दिया गया (6 मई 2003), यद्यपि तीन में से दो ठेकेदारों को मु.अ. द्वारा, जो स्वयं ही सितम्बर 2002 में डी.टी.सी. के एक सदस्य थे और डी.टी.सी. द्वारा दिसम्बर की निविदा में भी, प्रतिक्रियाशील माना गया (सितम्बर 2002)। इसके बाद, मुख्य अभियंता द्वारा ठेकेदार को कार्य आबंटित (12 मई 2003) किया गया और का.अ. द्वारा अप्रैल 2004 तक कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार से एक अनुबंध क्रियान्वित किया गया (9 जुलाई 2003)। इसके कारण कार्य के प्रारंभ में कुल 289 दिनों का विलम्ब हुआ, परिणामस्वरूप कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ।

जब कार्य प्रगति पर था झारखण्ड सरकार द्वारा बाजार दर और अनुबंध के अनुसार दर के बीच बिटुमिन की लागत के अंतर का भुगतान करने का एक परिपत्र निर्गत किया गया (31 जनवरी 2004)। ठेकेदार द्वारा कार्य क्रियान्वित किया गया और मार्च 2006 तक 6.31 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया गया। इसमें 51.17 लाख रूपये के बिटुमिन की अतिरिक्त लागत भी सम्मिलित थी। इसे बचाया जा सकता था यदि कार्य नियत समय (जून 2003) पर पूर्ण होता।

इस प्रकार निविदा और अनुबंध के अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप कार्य को विलम्ब से प्रारंभ और पूर्ण होने से 51.17 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार द्वारा क्रियाविधिक विलम्ब को स्वीकार किया गया (सितम्बर 2006) और कहा गया कि तीन ठेकेदारों, जिन्होंने सितम्बर 2002 में कार्य के लिए डाक किया था, उन्हें डी.टी.सी. द्वारा अप्रतिक्रियाशील समझा गया था। पुनर्निविदा (दिसम्बर 2002) पर दो ठेकेदारों को प्रतिक्रियाशील पाया गया और डीटीसी द्वारा मई 2003 में निविदा को निर्णित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तीन में से दो ठेकेदारों की डाक दिसम्बर 2002 में डीटीसी द्वारा सितम्बर 2002 की निविदा में भी प्रतिक्रियाशील समझी (सितम्बर 2002) गयी थी। अत: विभाग द्वारा एक ही सेट के ठेकेदारों को सितम्बर 2002 की निविदा में अप्रतिक्रियाशील और पुन: दिसम्बर 2002 की निविदा में प्रतिक्रियाशील मानना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता था।

मानव संसाधन विकास विभाग

4.3.4 वेतन एवं भत्तों के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा सहायक शिक्षकों के वेतनमान के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर 51.34 लाख रूपये का अधिक भुगतान

पंचम वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार (दिसम्बर 1989) सभी नई नियुक्तियों के मामले में, जो कि 1 जनवरी 1986 को या उसके बाद हो लेकिन आदेश जारी होने से पहले (दिसम्बर 1989), 1.1.1986 से प्रभावी संशोधित वेतन मान के रूप में विचार किया जायगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा कार्यालय के सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ (फरवरी 2005) कि वर्ष 1988 एवं 1989 के बीच 30 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतनमान (535-765 रूपये) में हुई थी परन्तु उनकी सेवा पुस्तिकाओं में गलत वेतन मान 680-965 रूपये अभिलेखित किया गया था।

गजट अधिसूचना के अनुरूप (जुलाई 1993) दोनों वेतनमानों (535-765 रूपये एवं 680-965 रूपये) का विलय किया गया था एवं उच्च वर्ग में 1.1.86 से प्रोन्नति का लाभ दिये बिना संशोधित वेतनमान 1200-2040 रूपये (वर्ग-I) किया गया। आगे, अधिसूचना में शिक्षकों को आठ श्रेणियों में क्रमशः ग्रेड-I (1200-2040 रूपये) से ग्रेड-VIII (2200-4000 रूपये) तक 1.1.96 के भूतलक्षी प्रभाव से वर्गीकृत किया गया था। एक अप्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण परीक्षा उतीर्ण होने के पश्चात् ग्रेड-I में पदस्थापना के लिये उपयुक्त होगा एवं ग्रेड-I (1200-2040 रूपये) से ग्रेड-IV (1640-2900 रूपये) में प्रोन्नत होने के लिए ग्रेड-I में आठ वर्षों तक पदस्थापित रहने के पश्चात ही स्वीकार्य होगा। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों ने अप्रैल 1995 में प्रशिक्षण परीक्षा उतीर्ण की थी एवं ग्रेड-I (अप्रैल 1995) के लिये उपयुक्त थे, परन्तु इनकी पदस्थापना (अप्रैल 1995) ग्रेड-IV के वेतनमान (1640-2900 रूपये) में की गई थी, यद्यपि उनके द्वारा ग्रेड-I में आठ वर्षों का सेवाकाल पूरा नहीं किया गया था। इस तरह, सेवा पुस्तिकाओं में गलत वेतनमान (535-765 रूपये) के बदले (680-965 रूपये) दर्ज करने के परिणामस्वरूप 1995-2005 के दौरान 51.34 लाख रूपये का अधिक भुगतान किया गया। इसे बताये जाने पर विभाग द्वारा मई 2006 में जाँच समिति बनाई गई। लेखा परीक्षा द्वारा सूचित किये गये अधिक भुगतान को समिति ने स्वीकार करते हुए इसके प्रतिवेदन को सरकार को प्रस्तुत किया (जुलाई 2006)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

जल संसाधन विभाग

4.3.5 पुनर्वास पैकेज पर परिहार्य भुगतान

सरकार द्वारा नवम्बर 1985 और मार्च 1989 के मध्य अधिग्रहित भूमि के लिए स्वीकृति और भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के कारण 1.23 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नीति के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए प्रति परिवार को जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी थी, 0.20 लाख रूपये की राशि का मकान निर्माण अनुदान के रूप में भुगतान करना, अपेक्षित था। प्रभावित परिवार को वास्तविक विस्थापन से पूर्व अनुदान का वितरण करना था।

सहायक निदेशक (स.नि.) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2005 और मई 2006) से उद्घाटित हुआ कि पुनर्वास पदाधिकारी (आर.ओ), चांडिल द्वारा प्रतिपरिवार 0.20 लाख रूपये 14 ग्रामों के 410 परिवारों के पुनर्वास पैकेज के भुगतान की अनुशंसा (नवम्बर 2001 से सितम्बर 2002) की गयी। प्रशासक द्वारा भी विस्थापित परिवार को भुगतान स्वीकृत किया गया (अप्रैल-जुलाई 2003) लेकिन पुनर्वास पदाधिकारी द्वारा अगस्त 2003 तक भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। तदनुसार, सरकार द्वारा पुनर्वास की दर प्रति परिवार 0.20 लाख रूपये से 0.50 लाख रूपये संशोधित कर दी गयी (सितम्बर, 2003)। तदन्तर यह भी पाया गया कि प्रशासक के अनुमोदन पर आर.ओ. द्वारा विस्थापित परिवारों को दिसम्बर 2003 और अगस्त 2004 के मध्य 2.05 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.23 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

स.नि. ने कहा (मई 2006) कि नवम्बर 2000 से 18 जून 2002 तक और अगस्त 2002 से 20 मार्च 2003 तक प्रशासक की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रशासक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संचिकाओं को प्रारंभ नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जून 2002 से जुलाई 2002 और मार्च 2003 से सितम्बर 2003 के दौरान प्रशासक नियुक्त थे और सभी 410 मामलों को भुगतान के लिए इसी अवधि के दौरान अनुशंसित किया गया। ऐसे अधिक भुगतान के लिए सरकार (अक्टूबर 2006) द्वारा कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अक्टूबर 2006)।

4.4 निष्क्रिय निवेश/ निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन/विचलन

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.1 निष्क्रिय कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चाईबासा के प्रारंभ से ही अक्रियाशील रहने के परिणामस्वरूप निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 34 लाख रूपये का निरर्थक व्यय

राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 2001 में चाईबासा में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमोदन किया गया एवं 38 पदों को स्वीकृत किया गया। नवम्बर 2002 को महाविद्यालय में छः चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई एवं मार्च 2004 में एक प्राचार्य की पदस्थापना की गई थी।

प्राचार्य, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चाईबासा के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2006) में यह देखा गया कि महाविद्यालय में न तो किसी छात्र का नामांकन किया गया था और न ही कोई शैक्षिक गतिविधि की गई थी। इसी बीच नवम्बर 2002 से फरवरी 2006 तक निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 34 लाख रूपये व्यय किये गये थे। इसे बताये जाने पर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कहा गया (फरवरी 2006) कि भारतीय औषधि के केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम.) द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर पाने के कारण, यथा अस्पताल एवं महाविद्यालय के लिये सृजित पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ, आवश्यक संयत्रों एवं उपस्करों का अप्राप्त रहना, भू-अर्जन एवं भवन का निर्माण करना आदि से महाविद्यालय को चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि, महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को बार-बार निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने संबंधी मामले की जानकारी दी गई, विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

इस तरह, सरकार द्वारा बिना निर्धारित आवश्यक मापदंड पूरा किये महाविद्यालय को स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 34 लाख रूपये का निरर्थक व्यय किया गया।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

4.4.2 आवश्यकता निर्धारण किये बिना निधि का आबंटन एवं आहरण

***आवश्यकता* निर्धारण किये बिना निधि के आहरण के परिणामस्वरूप दो वर्षों से अधिक 1.97 करोड़ रूपये का अवरोधित रहना**

कोषागार नियमावली के अनुसार बिना तत्काल आवश्यकता के किसी भी राशि का कोषागार से निकासी नहीं की जानी चाहिए। झारखण्ड सरकार द्वारा 1.02 लाख रूपये प्रति प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 193 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे मशीनों के लिये एक्स-रे फिल्म एवं प्रतिकर्मक क्रय हेतु 1.97 करोड़ रूपये स्वीकृत (2001-2004)किया गया था। संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मांग प्राप्त किये बिना, 22 असैनिक शल्य चिकित्सकों को निधि विमुक्त (जून 2004) कर दी गयी थी।

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य समिति, (जि.प्र. एवं शि.स्वा.) राँची, जो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्स- रे मशीनों के लेखा का रख-रखाव करती है के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ (सितम्बर 2006) कि किसी भी प्रा. स्वा. के. के पास एक्स-रे मशीन नहीं थी और प्रतिकर्मक एवं एक्स-रे फिल्म हेतु आबंटित निधि असैनिक शल्य चिकित्सकों/जिला जि.प्र.एवं शि.स्वा. समितियों के पास बेकार पड़ी हुई थी (सितम्बर 2006)।

इस तरह, बिना यथोचित योजना, वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के निधि का आबंटन एवं तत्काल आवश्यकता के बिना निधि के आहरण के परिणामस्वरूप दो वर्षों तक 1.97 करोड़ रूपये का सरकारी धन अवरूद्ध रहा।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर 2006) प्र. एवं. शि. स्वा. पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि यह राशि सरकार को लौटा दी जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना निधि का आबंटन किया गया था एवं संहिता उपबंधों का उल्लंघन भी था।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया (अक्टूबर 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

मानव संसाधन विकास विभाग

4.4.3 निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर निरर्थक व्यय

जुगल किशोर राम, रक्षपाल उच्च विद्यालय, चिरकुंडा, धनबाद में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत एक भी छात्र का नामांकन नहीं होने के परिणामस्वरूप निष्क्रिय कर्मचारियों पर 28.24 लाख रूपये की राशि का निरर्थक व्यय।

भारत सरकार द्वारा 1991 में +2 स्तर के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन अनुमोदित किया गया था। जु.कि.रा.र. उच्च विद्यालय, चिरकुंडा, धनबाद में 1994-95 में खनन कार्य, भूगर्भशास्त्र, उपचार सेवा, दाई कर्म एवं आशुलिपिक कार्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था।

यह देखा गया (अगस्त 2005-जनवरी 2006) कि 1997 से इन पाठ्यक्रमों में एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था परन्तु एक प्रशिक्षक एवं दो प्रयोगशाला सहायकों के वेतन एवं

भत्तों पर 1997 से जनवरी 2006 के दौरान 28.24 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया था।

इसे बताये जाने पर विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि 1993-95 एवं 1994-96 बैच के उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार के सुअवसर की कमी के कारण आगामी वर्षों में छात्रों का नामांकन नहीं हो पाया था। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकार किया गया कि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के प्रबंध करने हेतु विस्तृत योजना को सरकार द्वारा सूत्रीकरण अभी करना है।

इस तरह, विभाग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के प्रबंध हेतु विस्तृत योजना के सूत्रीकरण एवं उत्तीर्ण छात्रों के लिए रोजगार के सुअवसर/प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रदान करने में विफलता के कारण व्यावसायिक शिक्षा के उद्वेश्य जिनके लिए इन पाठयक्रमों को सन्निविष्ट किया गया था, को पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप 28.24 लाख रूपये का निरर्थक व्यय भी हुआ।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.4.4 निधि का विचलन

विभिन्न योजना निधि से कतिपय पुस्तकों के क्रय हेतु 73.74 लाख रूपये का अनधिकृत विचलन, जिसमें से 72 लाख रूपये का निष्फल व्यय

सचिव, सांास्थिक वित्त, झारखण्ड सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों/उप विकास आयुक्तों को विनोद एन्टरप्राइजेज, पटना से प्रकाशित आठ पुस्तकों की प्रत्येक के 1000 प्रतियों के क्रय के लिये निर्देश (जून 2002) दिया था, जिसे आगे कृषि एवं सहायक गतिविधियों में लाभान्वितों की सहायता के उद्वेश्य से बेचा जाना था। इन पुस्तकों को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वितरित करना था और उनसे पुस्तकों का मूल्य वसूल करना था। फिर भी पुस्तकों के क्रय हेतु विभाग द्वारा कोई निधि का प्रबन्ध नहीं किया गया था।

नौ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अभि.)♣ के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च से सितम्बर 2006) में यह देखा गया कि वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में 73.74 लाख रूपये की पुस्तकों का क्रय किया गया जिसके लिए सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एवं स्वर्णजयन्ती ग्राम रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की योजना निधि से अनधिकृत रूप से निधि का विचलन किया गया था। इन पुस्तकों की बिक्री से केवल 1.74 लाख रूपये

♣ राँची- 19.84 लाख रूपये, गढ़वा- 16.62 लाख रूपये, गोड्डा - 9.92 लाख रूपये, गुमला -5.12 लाख रूपये, जामताड़ा-7.44 लाख रूपये, कोडरमा-4.96 लाख रूपये, पाकुड़- 2.48 लाख रूपये, साहेबगंज- 0.24 लाख रूपये एवं सिमडेगा-7.12 लाख रूपये

(डी.आर.डी.ए.,गढ़वाः 1.69 लाख रूपये, डी.आर.डी.ए., राँचीः 0.05 लाख रूपये) प्राप्त किया जा सका था (मार्च 2006)। बची हुई पुस्तकों की प्रतियाँ भंडार में बेकार पड़ी हुई थी एवं शेष 72 लाख रूपये की राशि को वापस नहीं किया जा सका, इस तरह निष्फल हो गया।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2006), उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

4.4.5 सुधार गृह के निर्माण पर निष्क्रिय/निष्फल व्यय

सरकारी अनुदेशों के विरूद्ध कार्य करने के कारण अपूर्ण *सुधार गृह* पर 58.89 लाख रूपये का निष्क्रिय व्यय, साथ ही सुधार गृह को चलाने हेतु प्रस्तावित गैर सरकारी संगठन का चुनाव नहीं किया जाना

जनजाति क्षेत्रों के तरूण कैदियों को स्वस्थ परिवेश देने के उद्येश्य से समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में गुमला जिला में सुधार गृह निर्माण हेतु उपायुक्त, गुमला को 99.42 लाख रूपये (9 जुलाई 2003) स्वीकृत/आबंटित किया गया था। निर्माण कार्य को उसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना था। तत्पश्चात, सरकार द्वारा निदेशित किया गया कि (30 जुलाई 2003) वर्ष 2003-04 में निर्माण कार्य को प्रारंभ नहीं किया जाय क्योंकि राज्य स्तर पर कार्यकारी अभिकरण का चुनाव होना बाकी था।

उपायुक्त, गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2005 एवं जून 2006) से यह उद्घाटित हुआ कि उपायुक्त द्वारा (जनवरी 2004) कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला को निर्माण कार्य सौंपा गया था। तदन्तर, सरकार द्वारा योजना व्यय में कटौती किये जाने के आदेश के कारण (मार्च 2004) योजना का अपसर्जन (मार्च 2004) कर दिया गया था। तथापि, सुधार गृह के निर्माण पर मार्च 2004 तक 58.89 लाख रूपये खर्च हो चुके थे। इसके बाद कार्य को रोक दिया गया था एवं शेष राशि (39.42 लाख रूपये) को कोषागार में जमा कर दिया गया था, जबकि बाकी बची हुई राशि 1.11 लाख रूपये कार्यपालक अभियन्ता के पास थी (अप्रैल 2004)। उपायुक्त द्वारा कहा गया (जनवरी 2005) कि सरकार के पूर्व अनुदेशों (जुलाई 2003) के अनुरूप कार्य को लिया गया था और निर्माण कार्य नहीं करने संबंधी बाद का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

सुधार गृह को बचे हुए कार्य को पूरा करने एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिये सरकार द्वारा 39.42 लाख रूपये एवं 1.50 लाख रूपये (नवम्बर 2005) उपायुक्त, गुमला को आबंटित किया गया जिसमें से कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला को 38.86 लाख रूपये (जनवरी 2006) दिया गया था। मई 2006 तक 2.06 लाख रूपये को विमुक्त नहीं किया गया था। सरकार द्वारा अगस्त 2005 में कहा गया कि सुधार गृह चलाने

हेतु (एन.जी.ओ.) के चयन का कार्य प्रक्रियाधीन था और यह वर्ष 2005-06 तक कार्यरत हो जायगा। सरकार का उत्तर गलत प्रमाणित हुआ क्योंकि नवम्बर 2006 तक न तो (एन.जी.ओ.) का चयन किया गया था और न ही भवन निर्माण पूरा हुआ था।

विभाग की ढुलमुल नीति तथा सरकार एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय नहीं रहने के परिणामस्वरूप कार्य केवल देर से ही नहीं पूरा हुआ, बल्कि तीन वषों के बाद भी भवन निर्माण के उद्येश्य को पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण सुधार गृह के निर्माण पर 58.89 लाख रूपये का निष्फल/निष्क्रिय व्यय किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गुमला द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2006) कि कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से 38.86 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

4.5 नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु

सामान्य

4.5.1 लेखा परीक्षा पर सरकार के प्रत्युत्तर का अभाव

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा सरकारी विभागों के विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखे एवं अन्य अभिलेखों, लेन देन की नमूना जाँच एवं अनुरक्षण के सत्यापन का आवधिक निरीक्षण संचालित करने की व्यवस्था की जाती है। ये निरीक्षण, निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसारित होते हैं।

जब निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं तथा अन्य बिन्दुओं का निपटारा उसी स्थान पर नहीं हो पाता है तो इन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन में लिया जाता है एवं निरीक्षित कार्यालय के कार्यालय प्रधान को निर्गत किया जाता है तथा इसकी प्रतियाँ बाद वाले उच्चाधिकारियों को दी जाती है।

निरीक्षण प्रतिवेदन में रखे गये अवलोकनों का उत्तर कार्यालय प्रधान एवं बाद के उच्चाधिकारियों द्वारा देना आवश्यक है एवं प्रतिवेदन के अनुसार दोषों एवं भूल-चूकों को तत्परता के साथ अनुपालन प्रतिवेदन परिशोधित कर महालेखाकार को भेजना है। महालेखाकार, कार्यालय द्वारा गंभीर अनियमितताओं को सरकार की जानकारी में भी लाया जाता है।

मार्च 2006 तक गृह (पुलिस) विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, जनसम्पर्क एवं पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, मानव संसाधन (कला एवं संस्कृति, खेल एवं युवा कार्यकलाप) विभाग, कानून एवं न्याय विभाग, भवन एवं गृह निर्माण विकास विभाग, सड़क निर्माण विभाग, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास और विद्युत एवं ऊर्जा विभाग, के कार्यालयों को निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह प्रकट हुआ कि 3812 नि.प्र. के

21,730 कंडिकाओं के उत्तर मार्च 2006 की समाप्ति तक अप्राप्त थे। इनमें से 375 नि. प्र. की 867 कंडिकायें 10 वर्षों से अधिक समय से निपटारे के लिये पड़ी हुई थीं।

मार्च 2006 के अन्त तक कुल निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं एवं कुल नि. प्र. तथा मुख्य कंडिकायें जिन्हें निपटाया जाना था साथ ही वर्ष 2005-06 तक जितनी इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई का ब्योरा नीचे दिया गया है।

	सिविल	कार्य	नदी घाटी परियोजना
वर्ष 2005-06 में वास्तविक लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	241	156	49
वर्ष 2005-06 में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	212	139	47
खण्ड-II/भाग 'क' (मुख्य) निर्गत कंडिकाओं की संख्या	239	218	46
31.03.2006 तक निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल संख्या	2237	996	579
31.03.2006 तक खण्ड-II/भाग 'क' (मुख्य) निपटारे के लिए लम्बित कंडिकाओं की कुल संख्या	1913	1158	718

लम्बित नि.प्र.एवं कंडिकाओं की वर्ष-वार स्थिति का ब्योरा ***परिशिष्ट- 4.1 (क.ख.ग.एवं घ.)*** में है। उपयुक्त विभागों से संबंधित नि.प्र. की समीक्षा से, जिनका उत्तर अप्राप्त है, उद्घाटित हुआ कि कार्यालय प्रधानों एवं सरकारी विभागों द्वारा बड़ी संख्या में नि. प्र./ कंडिकाओं का कोई उत्तर नहीं दिया गया था जो नि.प्र.में दिखाये गये दोषों, भूलों एवं अनियमितताओं पर कार्रवाई करने में उनकी असफलता को दर्शाता है। यद्यपि, इस स्थिति की जानकारी स्मार पत्रों द्वारा उन्हें नियमित रूप से दी गई, वे तत्परता के साथ समय पर कार्रवाई करने में असफल रहे।

झारखण्ड सरकार के 21 में से 16 विभागों के कार्यालय प्रधान, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं महालेखाकार के प्रतिनिधि मिल कर लंबित नि.प्र. के शीघ्रातिशीघ्र निपटारे के लिए लेखा परीक्षा समिति बनायी गयी थी। 16 विभागों की जहाँ लेखा परीक्षा समिति बनायी गयी थी, मई 2005 से मार्च 2006 तक 16 विभागों द्वारा 27 अवसरों पर बैठकें की गई। परिणामस्वरूप इन बैठकों में 59 नि.प्र. के 871 कंडिकाओं को निपटाना संभव हो सका। मुख्य सचिव/सचिव एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि ने तथापि, लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया।

नि.प्र./कंडिकाओं को निपटाने हेतु वित्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह सरकार के उत्तरदायित्व की कमी को दर्शाता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को (क) निश्चित समयानुसार नि.प्र./कंडिकाओं के उत्तर नहीं देने वाले कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने, (ख) निश्चित समय पर हानि/बकाये अग्रिम/अधिक भुगतान की राशि को वसूले जाने एवं (ग) वर्ष में कम से कम एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए।

मामला सरकार को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2006)।

4.5.2 विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित झारखण्ड सरकार से संबंधित वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लंबित एक्शन टेकेन नोट्स (ए.टी.एन.) की समीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि नवम्बर 2006 तक 35 विभागों की 47 कंडिकाओं की ए.टी.एन. लम्बित थे। विस्तृत सूची ***परिशिष्ट-4.2*** में दी गई है।